न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.
अपील संख्या 19/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/22)

1. रामजी पुत्र श्री शेरसिह बावरी निवासी ग्राम खाराखेड़ा हाल घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)
2. मु. बचनकौर पुत्री शेरसिह बावरी निवासी ग्राम खाराखेड़ा हाल घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)
3. मु. जीतो पुत्री शेरसिह बावरी निवासी ग्राम खाराखेड़ा हाल घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शेरसिह पुत्र श्री सोहनसिह जाति मजहबी निवासी भगतपुरा (मृतक)
    1. (क) बीबी देवी पुत्री शेरसिह जाति मजहबी निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
    1. (ख) बीकरसिह पुत्र शेरसिह (मृतक)
        1. (ख) (क) जगसीरसिह पुत्र बीकरसिह (मृतक)
            1. (ख)(क)(क)–मुख्त्यारी देवी पत्नी श्री जगसीरसिह जाति मजहबी निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
                1. (ख) (क)(ख) बगीसिह पुत्र श्री जगसीरसिह जाति मजहबी निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः श्री ज्ञानसिह विश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांकः 08.08.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना, प्रकरण संख्या 196/2014 के निर्णय दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट जगसीर सिह पुत्र बीकर सिह ने उपखण्ड अधिकारी घड़साना में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर दादा की पुख्ता आवटन भूमि तहसील घड़साना के 10 डी डी का मु. नं. 148/2 के किला नं. 1 ता 25 में 25.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड है, दादा के पिता का नाम व जाति राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) मे शेरसिह पुत्र सोहनसिह जाति मजबी करने के आदेश किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2015 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 10

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

डी डी के मु. नं. 148/2 के किला नं. 1 ता 25 की 25.00 बीघा भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थी के दादा का नाम शेरसिह पुत्र कर्मसिह जाति बावरी साकिन नुकेरा के स्थान पर शेरसिह पुत्र सोहनसिह जाति मजहबी साकिन भगतपुरा लिखा जाकर दुरूस्त करने के आदेश दिये । उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2015 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट के निमित सम्मन, रजिस्टर्ड नोटिस, एवं अखबार में नोटिस प्रकाशन के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा अपीलान्ट्स के पिता श्री शेरसिह बावरी को 18.04.1975 चक 10 डी डी पं. नं. 148/2 कि. नं. 1 से 25/25.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि कीमतन पुख्ता आवटन की गई थी। उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के पिता अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर काश्त करता रहा। शेरसिह की मृत्यु के पश्चात रामजी मौजूदा स्थिति मे काबिज रहकर फसल का फायदा उठा रहा है। जगसीरसिह पुत्र बीकरसिह ने गलत तथ्य पेश कर अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 का प्रार्थना पत्र पेश कर रिकार्ड मे दुरूस्ती चाही। जगसीर सिह ने अपने प्रार्थना पत्र में मूल आवंटन श्री शेरसिह पुत्र श्री कर्मसिह बावरी को पक्षकार नही बनाया व ना ही शेरंसिह के वारिसान को पक्षकार बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये कोई ठोस प्रमाण लिये बिना, राजस्व रिकार्ड में संशोधन का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार कर लिया जो गलत है। आंवटी की बल्दियत, जाति तथा निवास स्थान ग्राम का नाम परिवर्तन संशोधन किसी भी कानून के तहत किया जाना सम्भव नही है। स्पष्ट रूप से मूल आवटन एवं काबिज काश्तकारो के अधिकारो का हनन करके नवीन व्यक्ति को आवंटन दर्ज करने का आदेश है जो कानून की प्रक्रिया–प्रावधान रिकार्ड व मौका अवलोकन किये बिना पारित भ्रष्टाचार से पोषित आदेश है जो निरस्त योग्य है। अतः

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.06.2015 तदनुसार राजस्व रिकार्ड इन्तकाल नं. 167 दिनांक 15.07.2015 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के कॉलम नं. 11–12–13 के इन्द्राज निरस्त करने का आदेश फरमावे। विवादित भूमि का इन्तकाल स्व. श्री शेरसिह पुत्र कर्मसिह बावरी निवासी नुकेरा हाल खाराखेड़ा के वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे

5. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 22.06.2015 के विरूद्व न्यायालय में दिनांक 27.09.2016 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई अवसर दिये आदेश पारित करवाया गया है, इसलिए उक्त निर्णय की जानकारी उसे हल्का पटवारी से दिनांक 12.09.2016 को हुई। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मुझ प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। अपीलान्ट हितबद्व व प्रभावित पक्षकार है। इसलिए अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करनी की इजाजत दी जाये। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि राजस्व रिकार्ड मे भूमि मुताबिक नायब तहसीलदार रिपोर्ट चक 10 डी डी पं. नं. 148/2 कि. नं. 1 ता 25 का 6.008 है. रकबा शेरसिह पुत्र कर्मसिह कौम बावरी सा. नुकेरा तहसील संगरिया गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि अपने पिता शेरसिह वल्द कर्मसिह को आवंटित होना बताया है, साथ ही दिनांक 21.05.1975

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

का भूमि आवंटन आदेश प्रस्तुत किया है। निर्वाचन विभाग द्वारा जारी निर्वाचक परिचय पत्र में शेरसिंह पुत्र कर्मसिंह दर्ज रिकार्ड है। शेरसिह पुत्र कर्मसिह का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र भी सलंग्न पत्रावली है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा निर्णय पारित किए जाने से पूर्व इस तथ्य का विवेचन नही किया कि रिकार्ड मे आवंटन संबधी प्रथम प्रविष्टि कब हुई व रिकार्ड मे गलत प्रविष्टि का इन्द्राज कब हुआ। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दायर किया गया था, अतः यह नितांत आवश्यक था कि उपखण्ड अधिकारी इस तथ्य का विश्लेषण करते कि रिकार्ड में लिपिकिय त्रुटि कब हुई, मूल प्रविष्टि रिकार्ड मे कब व किस आधार पर आई, इसके संबध मे तथ्य पत्रावली पर नही पाए गए है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मात्र वर्तमान जमाबंदी की प्रविष्टि को ही आधार बनाकर निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में हितबद्व पक्षकारान की विधिवत सुनवाई का अभाव भी पाया गया हे। उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 विधिनूकूल नही पाया गया है।

लिजाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2015 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी घड़साना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित तथ्यो का मूल आवंटन रिकार्ड, जमाबन्दी मे मूल इन्द्राजात, पश्चातवर्ती जमाबंदिया वगैरह की जांच की जाकर उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर